भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4135

23.12.2015 को दिया जाने वाला उत्तर

विकलांगों हेतु कोटा

4135. डॉ. उदित राज:

श्री भरत सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में विकलांग कोटा से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो नियमों में किए गए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों के कब से प्रभावी होने की संभावना है?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)

(क) और (ख) : शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की दोनों कोटियों, यथा वे विकलांग व्यक्ति, जिनके लिए यात्रा के दौरान मार्गरक्षी साथ ले जाना अनिवार्य है और वे, जिनके लिए मार्गरक्षी साथ ले जाना वैकल्पिक है, की सुविधा के उद्देश्य से अनुदेश जारी किए गए हैं कि 2 शयनयान श्रेणी बर्थ का मौजूदा विकलांग कोटा बढ़ाकर शयनयान श्रेणी की 4 बर्थ कर दिया जाए।

(ग) : यह व्यवस्था 01.01.2016 से लागू होगी।

****